कार्यालय जिला नगर आयुक्त, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल

क्रमांक-DMC/NNC/1364-65 दिनांक- 09-07-2025

सार्वजनिक सूचना

लाल डोरा/आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेन्द्रगढ़ के सम्पत्ति प्रमाण पत्र बारे

इस नोटिस/इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपत्तिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र क्रमांक DULB/CTP-II/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला महेन्द्रगढ़ की सभी परिषद/ पालिकाओं क्रमश: नारनौल, महेन्द्रगढ़, अटेली मण्डी, नांगल चौधरी, कनीना द्वारा लाल डोरे/आबादी देह में स्थित संपतियों का संपति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। जिससे सम्बन्धित प्रारम्भिक सूची का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है। जिसकी एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं की गृहकर/सम्पतिकर शाखा में व एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई थी। किन्तु अब निदेशालय की हिदायतो अनुसार लाल डोरे में स्थित सम्पतियों के सम्पति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व अंतिम सूची प्रकाशित की जा रही है। जिसे कोई भी आमजन नगर परिषद/पालिकाओं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर सकता है,साथ में ही यह सूची सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Narnaul/569,https://ulbharyana.gov.in/Mohindergarh/841#myCarousel,https://ulbharyana.gov.in/AteliMandi/2865, https://ulbharyana.gov.in/Nangal Chaudhary/844, https://ulbharyana.gov.in/Kanina/842 पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूची पर किसी प्रकार का एतराज या आपति है तो वह अपने दस्तावेजों सहित प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर-अंदर अपना एतराज/आपति लिखित में दस्तावेजों सहित सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की गृहकर/सम्पतिकर शाखा मे सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज/आपति पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी सम्पति पर कोई दावा/आपति ना आने की एवज मे जारी की गई सम्पति प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की कोई जिम्मेवारी ना होगी।

सम्पति के स्वामित्व को सिद्ध करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग,पंचकूला द्वारा जारी पत्र क्रमांक DULB.DMC-HQ/2024/142 दिनांक 12.03.2024 में दिए गए निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दावेदार का शपथ पत्र, जिसमें आबादी देह/लाल डोरा में स्वामित्व/कब्जा का स्पष्ट उल्लेख हो :-
  1. पिछले 10 वर्षों का बिजली बिल ।
  2. पिछले 10 वर्षों का पानी का बिल ।
  3. कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र आदि जिसमें पता शामिल हो।
- अधिकार के पिछले 10 वर्षों का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
  1. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
  2. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए निर्मित संरचना का प्रमाण-पत्र ।
- दावाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की वांछनीय सूची निम्नलिखित है :-
  1. बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख ।
  2. हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/मुक्ति विलेख/जमाबन्दी फरद ।
  3. राजस्व अधिकारी के साथ पंजीकृत अदालत का आदेश ।
  4. रजिस्ट्री/बिक्री विलेख ।

नोट :- मूल मालिक की मृत्यु में उपयुक्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ-साथ सक्षम राजस्व प्राधिकरण/सिविल अदालत से जारी कानूनी/सिविल अदालत से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जरूरी है।

-हस्ता.-

जिला नगर आयुक्त, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।

Scanned with CamScanner